




# विदेशी ब्रांडों को मात दे रही एमपी की महुआ शराब ताज और मैरिएट जैसे होटलों में लोगों को महुआ शराब का चखाया जा रहा है स्वाद



भोजन।

गोवा की फेनी और केरल की टोडी जैसे ही मध्यप्रदेश में भी परंपरागत महुआ शराब बिकनी शुरू हो गई है। आप भी इसे बनाकर करोड़ों कमा

**सकते हैं।** इस काम में मध्यप्रदेश आबकारी विभाग मदद करेगा। इस शराब के लिए एजेंसी हायर की जा रही है, जो कि पूरे प्रदेश में महुआ शराब को बनाने, बांटने और अपेग बढ़ाने के लिए राज्य की एटिलेटिंग कंपनी है। इसके लिए राज्य विभाग ने बांटने के लिए राज्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ाये और आय में बढ़ातरी होगी।

**मार्केटिंग करने व बिक्री के लिए आउटलेट्स खोलेगी।** एजेंसी नियात भी करवाएगी।

सरकार ने एक साल पहले आदिवासियों को सशक्ति

बनाने और अपेग बढ़ाने के लिए राज्य की एटिलेटिंग कंपनी द्वारा बढ़ाने के लिए नई आबकारी नीति बनाई थी। इसे हीटेंट लिंकर नीति कहा गया है, इसमें वैट और लाइसेंस फोस में छूट का प्रावधान रखा गया है। अलीराजपुर में पोड और डिंडोरी में महुआ ब्रांड से शराब बननी शुरू हो चुकी है। अब मध्यप्रदेश सरकार महिला स्व सहायता समूह के जरिए हैरीटेज शराब के निर्माण को प्रोत्साहित करने जा रही है। इसके तहत एक एजेंसी को रखने का दैंडर हो रहा है।

आबकारी आयुक्त ने बताया कि, जनवरी 2024 से यह काम शुरू हो जाएगा। इससे प्रदेश के आदिवासी इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और आय में बढ़ातरी होगी।

**अब एजेंसी बताएगी शराब के फायदे**

विभाग के अफसरों ने बताया कि, मार्केटिंग एजेंसी बैटिंग शराब के लिए जागरूकता बढ़ाने का काम करेगी। यानी लोगों के बीच शराब का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रचार-प्रसार करेगी। इसके लिए महुआ की शराब के फायदे बताकर नए ग्राहक बनाए जाएंगे। इसके अलावा, महिला स्व सहायता समूहों को शराब का उत्पादन बढ़ाने के लिए कच्चे माल की खरीद, मरीजनी, कलानी कीटोंटो, इन्वेंटरी और स्टोरेज मैनेजमेंट में मदद करते हुए विभिन्न योजनाओं के जरिए लोन दिलवाया जाएगा। एजेंसी दूसरे राज्यों में भी रिटेल आउटलेट

कार्टर खुलाएगी। यह आउटलेट से आडर लेकर सप्लाई चेन खड़ी करेगी। नीतिगत मामलों में आबकारी विभाग और मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के साथ समंजस स्थापित करेगी। एजेंसी को भी मुश्किले में 10 प्रतिशत का हिस्सा मिलेगा।

**मौजूदा दुकानों से अलग खाले जाएंगे नई दुकानें**

वर्तमान दुकानों से हटकर अलावा से आउटलेट खोले जाएंगे। शराब की कीमत विभाग ही तय करेगा। इसमें मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम और उत्पादन शुल्क से भी मदद ली जाएगी। वहीं, एक अगस्त से हैरीटेज शराब प्रदेश में बिकनी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश ताज और मैरिएट जैसे होटलों में लोगों को महुआ का स्वाद चखाया जा रहा है।

**बिटिंग काल में बैन कर दी गई थी महुआ**

महुआ के पेड़ से जाने वाले फूलों से यह शराब बनाई जाती है। सदियों तक यह डिंक और महुआ के फूल अदिवासियों की रोजमरा की जिंदगी का हिस्सा रही, जिसे बिटिंग काल में बैन कर दिया गया था। ज्ञारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों की अदिवासी जातियों का महुआ के साथ केनवरण रहा है।

**समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिए जाने के लिए सतत व्यवहार करें- कलेक्टर**

माही की गूँज, झावुआ।

कलेक्टर सुश्री तबी हुड्डा झावा कलेक्टर सभाकाश में सुबह 11 बजे समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में कलेक्टर द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न विभागों की योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों की ऑफलाइन एंट्री एवं उन पर की जा रही कार्यवाही की जनपदवार समीक्षा की गई।

साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं में सिक्कल सेल एवं टींटी की जांच तथा आयुष्मान कार्ड प्राप्तिकात्री से बनाए जाने हेतु एवं राजस्व विभाग अंतर्गत दी जा रही सेवाओं के अधिक से अधिक आवादन प्राप्त करने हेतु राजस्व विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत समस्त विभाग प्रमुखों को यात्रा के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिए जाने के लिए सतत व्यवहार करने हेतु कहा गया।

समयावधि पत्रों के लिए बैठक आयोजित करायी गयी। सीएम हेल्पलाइन 181 पोर्टल पर लॉबिट शिक्षाकार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन 181 पोर्टल पर लॉबिट शिक्षाकार्यों की समीक्षा करने के लिए निराकृत करने को कहा गया। कलेक्टर द्वारा सभी अनुविधायी अधिकारियों से निराकृत आधार सेंटर की जांच एवं खुले बारिंग को सुझाकी की दृष्टि से व्यवस्थित रूप से छक्कावा जाने संबंधित कार्यवाही संबंधी समीक्षा की गई। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में वित्त रेन बरसेरों में ग्रामों में ठारने वाले व्यक्तियों हेतु ठंड से बचाव के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया।

बैठक में अधिकारियों की स्कूल, छात्रावासों एवं आश्रम का निरीक्षण एवं शासकीय उचित मूल्य दुकानों, आरोग्य स्वास्थ्य केंद्रों एवं हॉस्टल्स के निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया।



## स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन शिक्षक बच्चों को गुड टच और बेड टच के बारे में बताए - श्री शर्मा

### जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की जिला स्तरीय तकनीकी समूह की हुई बैठक

माही की गूँज, झावुआ।

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खरीफ 2024 एवं रबी वर्ष 2024-25 हेतु विभिन्न फसलों के लिए ऋण सीमा का निर्धारण तथा फसलवार नगद एवं वस्तु ऋण सीमा का निर्धारण किया जाने पर चर्चा की गई।

जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक में अल्पकालीन फसलों के लिए व्याकित सदस्य की अधिकतम तसीह का अन्वयन, उद्याविती अंतर्गत फल-फूल एवं सब्जी हेतु ऋण दरों का निर्धारण, नावाड़ द्वारा निर्धारित मध्यकालीन ऋण का निर्धारण, नावाड़ द्वारा प्रयुक्त एवं मध्य व्यवस्था कृषकों को जारी करना एवं किसानों के लिए एक अद्वितीय व्यवस्था का अनुभव होने के बारे में चर्चा की गयी।

महिला द्वारा आयोपित किया गया कि, इंधन द्वारा साथी एक अन्य व्यक्ति के साथ उसके बीच भर्ती रखने के लिए व्याकित का अन्वयन किया जाएगा। इसके बाद मिलने में डॉक्टर हेतु उन्हें अपने घर से निकल दिया। इसके साथ ही महिला ने शिक्षक बच्चों को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की अवधारणा के लिए एक अद्वितीय व्यवस्था का अनुभव होने के बारे में चर्चा की गयी।

जिला स्तरीय अधिकारी दुबे द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि, क्रिसमस के अवसर पर आपके विद्यालय में आयोजित होने वाले

जिला सहकारी राजेन्द्र कुमार शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि, बच्चे हमारे समाज का भविष्य हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि, हम उनके अधिकारों

को समझें और उन्हें इन अधिकारों की जिला सहकारी राजेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया करने में मदद करें। श्री शर्मा ने पॉस्टों एक अधिनियम के बारे में बताये हुए कहा कि, पॉस्टों एक एकांक का कानून है जो बच्चों के यौन शोषण और दुर्बलवाहर से बचाने के लिए बनाया गया है। यह कानून बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप या आपके

आसापास कोई बच्चा यौन शोषण का शिकायत करने में मदद करें। श्री शर्मा ने पॉस्टों एक अधिनियम के बारे में संपर्क करें। उन्होंने शिक्षिकों से अपील की कि, पॉस्टों को यौन शोषण के बारे में शिक्षित करें। उन्होंने शिक्षिकों के बारे में शिक्षित करें। यह कानून बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप या आपके

किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें या आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी कानूनी समस्या से जूँड़ रहे हैं तो उन्हें बच्चों के बारे में संपर्क करें। शिक्षिकों में जिला विधिक सेवा सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल ने स्कूली बच्चों को आईएसपीटीकट, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार एवं विद्यालय के बारे में शिक्षित करें। उन्हें बचाव और बेड टच के बारे में बताएं। उन्हें बचाव और बेड टच के बारे में बताएं कि, अगर कोई विद्यालय या विद्यालय संस्थान में आया तो आपको संस्था के विरुद्ध व्यवस्था, योनी की व्यवस्था, योनी विश्राम, भोजनालय, बाथरूम, बैठक व्यवस्था, बहुत अच्छी से की व्यवस्था, योनी की व्यवस्था, योनी विश्राम, भोजनालय, बाथरूम, बैठक व्यवस्था, बहुत अच्छी से





# एक नजर लोकसभा सीट पर...

16 चुनावों में 3 बार महिला प्रत्याशी, तीनों बार कांग्रेस से नटराजन



माही की गूँज, मंदसौर। साहित  
अगवान

मंदसौर लोकसभा सीट 1951 से  
अस्तित्व में आई और लगभग 73 वर्ष  
हो चुके हैं। जानकर हैरत होगी कि, अब  
तक हुए 17 चुनाव में डॉ. लक्ष्मीनारायण

के बाद सुधीर गुप्ता ही दोबारा सांसद बने  
हैं।

16 चुनावों में 3 बार महिला प्रत्याशी, तीनों  
बार कांग्रेस से नटराजन

मंदसौर सीट से 16 चुनाव में अब कठ 3 बार प्रमुख  
राजनीतिक दलों ने महिला प्रत्याशी दिए हैं। तीनों बार  
कांग्रेस से मैनीशनी नटराजन को टिकट मिला है जिसमें

पांडेय के अलावा  
सुधीर गुप्ता को  
दोबारा सांसद चुना  
गया है। गुप्ता 2014  
में जीतकर सांसद  
रहे फिर 2019 में  
जीतकर सांसद बने।  
यूं तो कई नेता 2 से

3 बार भाग्य  
आजमा चुके हैं  
लेकिन अधिकतम

1 बार ही जीत पाए  
तो कुछ का खाता  
नहीं खुला। डॉ.  
लक्ष्मीनारायण पांडेय

के बाद सुधीर गुप्ता ही दोबारा सांसद बने  
हैं।

2009, 2014 के बाद अब 2019 में  
नटराजन ने टिकट की हैट्रिक की मार जीत नहीं  
पाई। 1951 से लेकर 2019 तक भारतीय  
जनसंघ-लोकसभा के भाजपा से पुरुष प्रत्याशी  
रहे हैं। मंदसौर सीट कई बार बड़े उल्टफेंट व  
चौकोने वाले नीतजी देने के लिए खूब रही है।  
इस संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा की सीटें हैं।

इस बार दोनों तरफ से चेहरा बदलने

की सम्भावना

वर्तमान सांसद सुधीर गुप्ता जिस प्रकार से  
विधानसभा में अपनी दावेदारी जता रहे थे उससे  
कहीं न कहीं लोकसभा में भाजपा की ओर से  
चेहरा बदलने की सम्भावना नजर आ रही है।  
मगर सांसद सुधीर गुप्ता दावेदारों की दौड़ से  
कहीं बाहर नजर नहीं आ रहे हैं। बल्कि प्रमुख  
दावेदारों की गिनती में है। अगर भाजपा चेहरा  
बदलता है तो अपाला उमीदवार मंदसौर, गोठ  
या मनासा विधानसभा से हो सकता है। अगर  
मंदसौर विधानसभा की बात करें तो किसन  
मोर्चा गार्हीय उपचायक बंशीलाल गुर्जर, पूर्व विधायक  
उपचायल सिंह सिसोदिया, पूर्व जिला अध्यक्ष मदनलाल  
राठौर नजर आ सकते हैं। मनासा विधानसभा से कैलाश  
चावला, गोठ विधानसभा से पूर्व विधायक देवीलाल  
धाकड़ पर मोहर लग सकती है। अगर युवा चेहरे की बात  
के तो गोठ विधानसभा से पूर्व युवा मोर्चा उपचायक  
विधायक और मंदसौर से जिला अध्यक्ष नानालाल  
अटोलिया भी मैदान में नजर आ सकते हैं। वहाँ 2019  
कांग्रेस भारी मतों से हारने के बाद यह से नए चेहरे पर  
दाव खेल सकती हैं।

## 1951 से लेकर अब तक निर्वाचित सांसद

चुनावी वर्ष	विजेता प्रत्याशी	राजनीतिक दल
1951	कैलाशनाथ काट्जू	कांग्रेस
1957	मानक बाई अग्रवाल	कांग्रेस
1962	उमाशंकर त्रिवेदी	भारतीय जनसंघ
1967	स्वतंत्रसिंह कोहारी	भारतीय जनसंघ
1971	डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय	भारतीय जनसंघ
1977	डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय	भारतीय जनसंघ
1980	भवराला नाहाटा	कांग्रेस
1984	बालकिंदा वैरागी उर्फ नंदराम दास	कांग्रेस
1989	डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय	भाजपा
1991	डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय	भाजपा
1996	डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय	भाजपा
1998	डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय	भाजपा
1999	डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय	भाजपा
2004	डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय	भाजपा
2009	मीनाक्षी नटराजन	कांग्रेस
2014	सुधीर गुप्ता	भाजपा
2019	सुधीर गुप्ता	भाजपा

मिशन 2024 में गोठ विधानसभा की किस  
के हाथ में होगी बांगड़ोर...?

गोठ विधानसभा से पूर्व मंत्री की हार के बाद अब  
मिशन 2024 की गोठ विधानसभा की कमान कौन  
संभालेगा?...? कौन होगा कौंग्रेस लोकसभा प्रत्याशी का  
सिपासलार...? गोठ विधानसभा में किंतु हीरे किसी के  
हाथ में होगी कमान...? यह भी क्षेत्र में चर्चा का विषय  
बना है। जिस पर पार्टी की ओर से अब तक कोई संकेत  
नहीं निकल कर सामने आए है।

हिस्ट्रीशीटर बदमाश से  
भारी मात्रा में अफीम,  
डोडाचूरा, एमडी इग्र और  
अवैध हथियार बरामद

माही की गूँज, रतलाम।

जिले की जावरा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर बदमाश को भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ गिराया किया है। मंगलवार को एसपी राहुल लोढ़ा ने प्रेस वार्ता में पूरे मामला का खुलासा किया। एसपी राहुल लोढ़ा द्वारा अवैध मात्रक पदार्थ की तरकीब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हुए हैं। जावरा आईं थाना प्रभारी ओपी सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध डोडाचूरा, अफीम, एमडी और हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफतार किया है।

एसपी राहुल लोढ़ा ने बताया कि, पुलिस को सूचना मिली कि हस्तनपालिया निवासी फौजूल लोढ़ा ने अली हुसैन 38 वर्ष जीप से मादक पदार्थ लेकर रतलाम की तरफ आ रहा है। सूचना पर जावरा आईं की पुलिस टीम ने घेरावंदी कर जीप को रोका। पुलिस ने जीप चालक फौजूल लोढ़ा अली हुसैन को हिरासत में लेकर वाहन की तलाशी ली तो उसमें 62 किलोग्राम डोडा चूरा, 2 किलो 800 ग्राम अफीम, 140 ग्राम एमडी, दो 12 बोर की लोडेड बूक, एक जिंदा कारतूस, 26 हजार 400 रुपए नगद बरामद किए गए।

एसपी राहुल लोढ़ा ने बताया कि, आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एकट सहित अन्य गोंपीर धाराओं में 10 के लागता अपराध दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ सफेद के तहत वाहन की तलाशी की जारी रखी गई है।



## शादी का झांसा देकर युवक ने नाबालिंग का अपहरण कर किया था दुष्कर्म, आरोपी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास

माही की गूँज, नीमच।

जिले में 15 वर्ष की नाबालिंग का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। इस मामले में सत्र न्यायाधीश एवं

विशेष न्यायाधीश एवं सुशांत दुहरा ने बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र के पाण्डा गांव निवासी मोहन के बड़े पैरस्पर्य एवं अधिकारी के अपहरण करने के बारे में आरोपी राजू (20) को दोषी पाते हुए

पैरस्पर्य एवं के तरफ 20 साल का सप्तरी विधायक और दो हजार रुपये के अपहरण करने के बारे में आरोपी राजू को दोषी कर दिया है।

साथ ही अदालत ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 363 के अंतर्गत तीन साल का सश्रम कारावास और पांच वर्ष का

तक वापस नहीं आई। शंका के आधार पर, आरोपी के लिये लोकप्रिय रिपोर्ट तिखियाई। आरोपी पर अपारंपारिक मामांक 2151 से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

पीड़िता ने पुलिस को

बताई आपवीती

पांच मई 2021 को पीड़िता पुलिस थाना नीमच सिटी में उपर्युक्त निवासी पीड़िता की मां ने रिपोर्ट लिखवाई की थी कि 21 अप्रैल 2021 को उसकी 15 वर्ष की बेटी रात के लगभग साढ़े 8 बजे घर से यह कहने के बाद निकली कि वह जरूरी काम करना चाहती है। जावरा की ओर से उसे एक मामले के बारे में दिया गया था। जावरा ने उसे एक मामले के बारे में दिया है।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि, 31 अक्टूबर 2018 को फरियादी राजेश ने



पर चाहिए कि वही चोरी छिपे हो रही है। जिसके अपर्याप्त विवरण गोदा की स्कूटी रिपोर्टिंग की थी। जिसके 1500 रुपये आरोपी विवरण पिता मनोहरलाल गोदा 49 वर्ष निवासी जनकुपुरा मंदसौर को मारपीट करने की दोषी पाते हुए 6 माह के कठोर कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया। अदालत ने वह फैसला पांच वर्ष पुराने एक मामले में दिया है।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि, आरोपी राजू ने फरियादी राजेश को उपर्युक्त विवरण से अपराध करने के बारे में कार्यवाही कर दी थी।

परंगवाजी में चाहिना डोर के लिये योग होने वाली चाहिना

की चोरी छिपे हो रही है। जिसके अपर्य





# मोदी के मोहन से मध्य प्रदेश को उम्मीदें...

माही की गूँज, संजय भट्टेश

झाबुआ। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के थीम सांग "एपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एपी" को लोगों द्वारा खुब पसंद किया गया और अब चुनाव में बेपर जीत के बाद "मोदी के मन में मोहन की गारंटी को, 50 प्रतिशत कमीशन और कमलनाथ के बचन के मुकाबले ज्यादा समर्थन मिला और डबल इंजन की सरकार पर अपनी स्वीकृति दी। अब मोहन सरकार के लिए इस "भ्रष्टाचार के शिक्षाचार" का अप्रीय कर पाते हैं यह तो समय ही बताएगा। लेकिन मोहन के लिए शिवराज सरकार के कार्यों को जारी रखने के साथ ही उन कार्यों को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी है। शिवराज सरकार द्वारा खींची गई लाइन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मोदी के मोहन की है।

भ्रष्टाचार के शिक्षाचार का खाता जरूरी शिवराज सरकार पर कांग्रेस हमेशा ही 50 प्रतिशत कमिशन की सरकार, का

आरोप लगाती रही है और शायद इसी कमीशन की सरकार को मोदी ने भाप कर कठिनी रही है और इस सरकार के लिए धोणावीर के बजट विकास कार्यों को जमीन पर उतारने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब मोहन की गारंटी को पाप करने की जिम्मेदारी है।

धोणावीर के तमगे से मुक्ति पाना भी इस सरकार के लिए आवश्यक होगा। व्यापी कांग्रेस हमेशा ही शिवराज सिंह

चौहान को धोणावीर कहती रही है और इस सरकार के बजट विकास कार्यों को जमीन पर उतारने की बड़ी जिम्मेदारी होती है।

पलायन और रोजगार



आदिवासी अंचल झाबुआ-अलीराजपुर के साथ ही कई जिलों में रोजगार के लिए पलायन होना आम बात है और चुनाव में दोनों ही दलों के लिए यह चुनावी मुद्दा रहा है। लेकिन आजादी के अन्यताल और इन्हें चुनाव बीत जाने के बाद भी आज भी यह मुद्दा न केवल जीतिवाला तथा कार्यकर्ता बीती हो जाता है। इसे बर्लिंग की विरोध सरकार के लिए उत्तरता न होने से यह योना अब आमलोंगों का विश्वास खोनी नजर आ रही है।

सरकार के रोजगार उपलब्ध कराने के द्वावे + कट के मुंह में जीस-वाली कहावत ही चरितार्थ करते नजर आए हैं। झाबुआ-अलीराजपुर जिले में तो होली के बाद कई गांव खाली हो जाते हैं। यह "बाष्पों रोटा और चालों कोटा" वाली कहावत आज भी प्रचलित है। जिसका अर्थ है कि, काम की तराश में कोटा या सूरत जाने से अब तो

निरन्तरता न होने से यह योना अब सौमित्रों का विश्वास खोनी नजर आ रही है। इसका प्रभावी क्रियान्वयन होना भी आवश्यक है ताकि आम लोगों का इस योजना के प्रति पूर्ण विश्वास जगत हो।

कांग्रेस से अपेक्षाएं

लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका के

महत्व को भी नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता है। इस चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को विपक्ष हिस्से व्यहां तक की कर्मांक और बांगल जैसे गांजों में भी जाने लगे हैं। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा रोजगार गारंटी के लिए लाई गई मनरेखा योजना लागू है लेकिन उसमें अनिवार्य लिंगतात्त्व तथा कार्य की

सिंगार और हेंटंग कटोरे के हाथों में कमान सौंप कर इसकी शुरूआत कर दी है। अब दोनों ही दल न और युवा चेहरों के भरोसे हैं और आम जनता को भी इन युवा चेहरों से कई उम्मीद है। मोदी के मोहन से शिवराज के विकास कार्यों को आगे ले जाने की तो, जीतू, उमंग और हेंटंग से उम्मीद हैं कि, वे कांग्रेस को विपक्ष और कमलनाथ के आमांडल से बाहर निकलकर लोकतंत्रिक उत्तरता न तथा कार्य की विरोध केवल शिवराजमिहं चौहान तक की सीमित हो गया था और शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तिगत विरोध को ही सरकार का विरोध मान लिया गया था, जिसको चुनाव में जनता ने नकार दिया। कांग्रेस यही गतिविधि द्वारा नियंत्रण के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है। इन युवा चेहरों से आम जनता को भी उम्मीद है कि, वे न केवल कांग्रेस को एक जुट कर पारोंगे बल्कि मास्क विपक्ष की भूमिका का निर्वहन भी अच्छे से कर पाएंगे।

## विकास के नाम पर लगाए गए उद्योगों का जनता पर कहर: जमीन, हवा, पानी सभी में जहर ही जहर...

उद्योगिक क्षेत्र की भूमि, हवा, पानी में जहर पर लगान के लिए भानु भूरिया का प्रथासन को सात दिन का अल्टीगेटम

माही की गूँज, मैधनगढ़।

झगड़ान शेष



कार्यवाई शून्य: हर बार  
अधिकारियों द्वारा निरीक्षण  
करने, नमूने लेने, नोटिस देने की  
चलती है नोटर्की

दिल्ली एनसीआर में पराली जलाने पर रोक वाले उद्योगों को दिए गए। बदले में उन उद्योगों द्वारा भविष्य में ऐसा न किए जाने का हलफनामा दे दिया जाता है। साथ ही अधिकारियों द्वारा आर्थिक सांघर्षण कर स्वीकार कर लिया जाता है और अगले दिन से फिर जहर की ये दुकानें बेंचाफ संचालित होने लग जाती हैं, इसी तह निरीक्षण, नोटर्ने, नोटिस की ये नोटर्की बरसों से बदल सुरू जारी है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी कर रहे हैं अवमानना

दिल्ली एनसीआर में पराली जलाने पर रोक वाले आदामों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि हम लोगों को मरता हुआ नहीं छोड़ सकते वायु प्रदूषण को तुरते रोका जाए। साथ ही साथ ही नियंत्रियों के जल प्रदूषण पर लिए स्वतः संज्ञान वाले आदेश में सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायालीशीं प्रस्पै बोबड, प्रस्पै बोपांग और बी.रामासुभार्मणियम ने साफ कहा था, प्रदूषण मुक्त जल और साफ पर्यावरण नारायिकों का मालिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है। साथ ही कथा था संविधान के अनुच्छेद 21 में जीनों के अधिकार के अंतर्गत नमूने के लिए स्वतः संज्ञान वाले आदेश में सुप्रीम कोर्ट के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 47,48 के अंतर्गत जन स्वास्थ्य की ठीक करना और पर्यावरण संरक्षण करना राज्य का दायित्व है। हर बार प्रदूषण निवारण बोर्ड के अधिकारी जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) के अधिनियम 1974 की धारा 21 के अंतर्गत नमूने से संस्थानित करते हैं मार इसी अधियम की धारा 22 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 23 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 24 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 25 के अंतर्गत प्राप्त अनापति प्राप्ति रहे हैं। जबकि पर्यावरण के अधिकारी जल, जमीन, वायु को अधिकार करते हैं तो संस्थानित करते हैं मार इसी अधियम की धारा 26 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 27 के अंतर्गत इन समस्त उद्योगों को धारा 28 के अंतर्गत आदेश की अनापति करते हैं मार की धारा 29 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 30 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 31 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 32 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 33 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 34 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 35 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 36 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 37 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 38 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 39 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 40 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 41 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 42 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 43 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 44 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 45 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 46 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 47 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 48 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 49 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 50 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 51 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 52 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 53 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 54 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 55 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 56 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 57 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 58 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 59 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 60 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 61 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 62 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 63 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 64 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 65 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 66 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 67 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधियम की धारा 68 के अंतर्गत नमूने के लिए करते हैं मार इसी अधिय